बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संoसंo–9 / आo–01–20 / 2023(स्वाo) ..../ पटना, दिनांकः–................................

सिविल सर्जन, नवादा के पत्रांक–2475 दिनांक–09.06.2024 के प्रतिवेदन द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ० कविता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमौल, पकरीबरावाँ, नवादा दिनांक–16 05.2022 से 15.11.2022 तक मातृव्य अवकश एवं दिनांक–16.11.2022 से 15.05.2023 तक शिशु देख भाल अवकाश में रही है। डॉ० कविता सिंह दिनांक–16.05.2023 से 14.07.2024 तक नियमित रूप से अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित थी वे दिनांक–15.07.2024 से लगातार अपने कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित है। जिसके आलोक में सिविल सर्जन, नवादा द्वारा योगदान लेने हेतु मार्गदर्शन की मॉग की गयी।

2. डॉ० कविता सिंह द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु की गयी अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० कविता सिंह का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, नवादा को निदेशित किया जाता है कि डॉ० कविता सिंह को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करायी जाय। डॉ० कविता सिंह की योगदान करने की सूचना अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० कविता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमौल, पकरीबरावॉ, नवादा के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध करायी जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9 / आo–01–20 / 2023(स्वाo) 40(9) / पटना, दिनांकः– 14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमण्डल, गया/सिविल सर्जन, नवादा को निदेशित किया जाता है कि डॉ० कविता सिंह के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० कविता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमौल, पकरीबरावाँ, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025
सरकार के अवर सचिव।